



न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2013 R 4386 III/13

1. बुद्धलाल पिता देवनारायण साहू
2. रमेश कुमार पिता बुद्धलाल साहू,
निवासीगण-बलियरी तहसील व जिला
सिंगरौली (म.प्र.) —आवेदकगण

बनाम

1. बाबूलाल पनिका पिता सीताराम पनिका,
निवासी-ग्राम जमुआ तहसील व जिला
सिंगरौली (म.प्र.)
2. महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. विन्ध्यांचल चतुर्थ चरण
(1000 मेगावॉट) बलियरी तहसील व जिला
सिंगरौली (म.प्र.)

—अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर जिला सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा प्रकरण
क्रमांक-170/बी-121/2012-13 में पारित आदेश दिनांक
21/10/2013 के विरुद्ध म.प्र भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा
50 के अधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यह कि, ग्राम बलियारी तहसील सिंगरौली जिला सीधी में स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक-74/6 रकवा 2.023 हैक्टेयर पर आवेदक क्रमांक-1 के पिता एवं आवेदक क्रमांक-2 के बाबा श्री देवनारायण का सन् 1954-55 से पूर्व से काश्त करते हुये कब्जा दखल चला आ रहा था। न्यायालय तहसीलदार महोदय, तहसील सिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक-210/अ-19/1964-65 में पारित आदेश दिनांक 31/05/1965 द्वारा देवनारायण आवेदक क्रमांक-1 के पिता के नाम बंटन पट्टा स्वीकार किया गया था तदनुसार राजस्व अभिलेख में देवनारायण का

5/12/13

विनोद भागवत
उपस्थित
ग्वालियर
05-12-2013

AA

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(81)

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक R/4386/III/13, सिंगरौली

बुद्धलाल / बाबूलाल

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषको के
हस्ताक्षर

9-1-19

आवेदक की ओर से श्री विनोद भागव
अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला सिंगरौली
के प्रकरण क्रमांक 170/B-121/12-13 में पारित आदेश दिनांक
21/10/13 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में
दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित
संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु
प्रकरण आयुक्त संभाग सीवा के न्यायालय को अंतरित किया
जाता है। उभय पक्ष दिनांक 18-4-19 को संभागीय आयुक्त
सीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।


सदस्य